अनुसूची 21—फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

(5302)

प्रमाण-पत्र संख्या .... 19 ...... आवेदन सं० 15510 dt 14/12/19

चूँकि श्री Ram babu Rai

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्बंधित संव्यवहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2006 to Till dt से ता० ...... 19 ...... तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला. As per index II चला है अत: सम्पत्ति अवभार से मुक्त है।

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza - Danapur shahjadpur P.S. - Danapur Thana No - 21 Tauzi No - 5400 Khata No - 281 S. Plot No - 939 Area - 65 decimals. Distt - Patna.							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वसूली को उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): U.D.C

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): Shailesh

(पदनाम): UDC

कार्यालय: Danapur

तारीख: 14/12/19

14/12/19

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:–इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (खाश्यो) और अनुक्रमणिका (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखवी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलाशी प्रमाण को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) ✓ और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है, और चूँकि उनके द्वारा ढूँढ़े गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेवार न होगा जिनसे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 4218 दिनांक 18/12/19

आवेदक श्री Rambabu Rai

का आवेदन प्रमाण-पत्र द्वारा PNB, Maner Patna

का उनके पत्र संख्या — दिनांक 13/12/19 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी
14/12/19

SPL-469/99-2,00,000